आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
12-09-2023	**वाद सं0–33 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री अनुप श्रीवास्तव, पो0–गम्हरीया, बोलायडीह, रोड नं0–09, जिला– सरायकेला–खरसावाँ उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम सुनवाई में उपस्थित। आयोग के निर्देश के आलोक में अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम ने अपना विस्तृत जांच प्रतिवेदन आयोग को समर्पित किया है। आयोग अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को निर्देश देता है कि जांच प्रतिवेदन की एक प्रति शिकायतकर्ता को भी उपलब्ध करा दी जाय। आज की सुनवाई में शिकायतकर्ता ने कहा कि उन्हें कुछ वक्त दिया जाय ताकि वो अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा पेश किये गये प्रतिवेदन के विरूद्ध अपना पक्ष रख पाएं। आयोग शिकायतकर्ता के आग्रह को स्वीकार करते हुए निर्देश देता है कि दिनांक–03.10.2023 को आयोग में होने वाली सुनवाई में अपना पक्ष रखें। शिकायतकर्ता का पक्ष आने के बाद आयोग इस वाद में अग्रेत्तर आदेश पारित करेगा। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–03.10.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–03.10.2023 को रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	